वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड
कार्यालय उपक्षेत्रीय, सतपुड़ा उपक्षेत्र
जिला बैतूल (म0प्र0)

क्र0 वेकोलि/ पीके/ सत0उपक्षेत्र/ भू0अ0/ 2006/ दिनांक 13.03.2006

उपयुक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र की सतपुड़ा माइन नं02 में प्राकृतिक कोयले के भण्डारण का खनन सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रदाय किया जाता है। भूमिगत खनन कार्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कोयले के भण्डारण से ही किया जा सकता है, अन्य स्थल से नहीं, जिसका कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। भण्डारित कोयले के खनन की उपयुक्तता का आकंलन कोल माइनिंग प्लानिंग एवं डिजाइनिंग इन्सीट्यूट द्वारा किया गया है।

उपक्षेत्रीय प्रबन्धक
सतपुड़ा उपक्षेत्र

संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक 14.09.2008

विषयः कोल बैयरिंग एरियाज (एक्वायजेशन एण्ड डेव्हलपमेन्ट) एक्ट 1957 के अनुसार अधिगृहित की गई भूमि में से वर्ष 1990 के उपरान्त किए गए कार्यों (उत्खनन) को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् 97.143 हे0 भूमि को कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आवेदक संस्थानः उपक्षेत्रीय प्रबन्धक, सतपुड़ा उपक्षेत्र वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र जिला बैतूल (म0प्र0)

क्र0	वन मण्डल का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्र0	रकबा हे0 में	खसरा	खसरा हे0 में	कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट अधि0 क्र0 दिनांक
1	उत्तर बैतूल (सा0) वनमण्डल	सारनी (सामान्य)	पीएफ 1629 (संरक्षितवन)	42.585 हे0	119/ 1	3.057	सी बी ए क्र0 2116 दिनांक 22.04.83 क्र0 2617 दिनांक 21.08.1978 एवं क्र0 1476 दिनांक 12.05.1987
					164	0.353	
					119/ 1	39.788	
					93	0.506	
					94	0.198	
					112	8.499	
					164	2.157	
			1	42.585 हे0	6	54.558	

संयुक्त स्थल निरीक्षण विषयक कार्यवाही विवरणः

आज दिनांक 14.09.2008 को विषयांकित प्रकरण के अन्तर्गत वन मण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सामान्य) वन मण्डल के पत्र क्र0 मानि/ 443 दिनांक 18.01.2008 द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में उपक्षेत्रीय प्रबन्धक सतपुड़ा उपक्षेत्र वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 97.143 हे0 में से वन विभाग के अन्तर्गत संरक्षित वन कक्ष क्र0 पीएफ 1629 का मॉग किया गया क्षेत्र 42.585 हे0 के संयुक्त स्थल निरीक्षण हेतु आवेदक संस्थान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र तथा वन विभाग उत्तर बैतूल (सा0) वन मण्डल सारनी परिक्षेत्र के अधोहस्ताक्षरित हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारीगण / कर्मचारीगण आवेदित क्षेत्र मौका पीएफ 1629 पर उपस्थित हुए, तथा क्षेत्र में संयुक्त रूपसे घूमफिर कर मॉग किए गए क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया।

स्थल निरीक्षण में पाया कि वनभूमि के अन्तर्गत कक्ष क्र0 पीएफ 1629 का प्रस्तावित किया गया क्षेत्र रकबा 42.585 हे0 न्यूनतक क्षेत्र है जिसमें सीमा लाइन पर सीमांकन बाबत् संरचना (मुनारे) होना नहीं पाया गया है। केवल क्षेत्र को अस्थाई रूपसे पत्थर जमाकर सीमा लाइन का निर्धारण किया गया है, जिसे उप वन मण्डलाधिकारी द्वारा अमान्य कर सीमा को पक्के मुनारों से सीमांकन करने के मौके पर निर्देश दिए गए, जिसे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा स्वीकार कर शीघ्र सीमांकन कर लेने बाबत् सहमति प्रदान की गई। उक्त क्षेत्र में उपरी सतह पर मिश्रित प्रजाति का मध्यम आयु वर्ग का वन क्षेत्र स्थित है, जिसका घनत्व 0.5, 0.4 के लगभग है। उक्त क्षेत्र का वर्तमान में प्रचलित कार्य आयोजना द्वारा श्री बी के मिश्रा (भा0 व0 से0)के अवलोकन करने पर पाया गया कि कक्ष क्र0 पीएफ 1629 का कुल रकबा 53.6 हे0 है। जिसको कार्य आयोजना में एससीआईडब्ल्यूसी में शोभापुर एससीआई पातनश्रेणी में प्रावधानित किया गया है। जिसके अन्तर्गत कूप क्र0 xviii पाथाखेड़ा आता है। उक्त क्षेत्र में मध्यम आयु वर्ग का मिश्रित प्रजाति का 4ए श्रेणी का मिश्रित वनक्षेत्र होना बताया गया है। चूँकि प्रस्तावित किया गया रकबा 42.585 हे0 भूमिगत कोयला उत्खनन उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति से सम्बन्धित है। जिसमें उपरी सतह पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। मौके पर उपरी सतह पर वनों पर कोई दुष्प्रभाव पड़ने जैसी स्थिति दृष्टिगोचर नहीं हुई है। प्रस्तावित रकबा भूमिगत क्षेत्र होने से वर्तमान कार्य आयोजना में प्रावधानित अनुसार विचलन की स्थिति भी निर्मित होना नहीं पाया जाता है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा इस प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति चाही है, इस कारण उक्त क्षेत्र हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने की सम्भावना भी शेष नहीं है। प्रस्ताव के अनुसार क0 119/ 1ए 164ए 119/ 1, 93, 94, 112 एवं 164 का कुल रकबा 54.558 हे0 का सम्बन्ध बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि तथा भूमि स्वामी हक की भूमि से है। जो राजस्व के अन्तर्गत होना पाया जाता है। अतः उक्त क्षेत्र हेतु संयुक्त स्थल निरीक्षण की कार्यवाही राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा किया जाना उचित होगा। विषयांकित प्रकरण के अन्तर्गत वन विभाग का कक्ष क0 पीएफ 1629 की प्रस्तावित की गई 42.585 हे0 क्षेत्र की संयुक्त स्थल प्रतिवेदन के दौरान उपरोक्त वर्णित अनुसार प्राप्त परिणामों के आधार पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र (उपक्षेत्रीय प्रबन्धक सतपुड़ा उपक्षेत्र) को स्वीकृति प्रदान करने में वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त क्षेत्र को शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड/प्रक्रिया के अनुसार दिए जाने हेतु अनुशंसा की जाती है।

. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र के अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम पदमुद्रा व हस्ताक्षर।

(हस्ताक्षर) 14-9-08

एस के वेंकटेश्वरन
उपक्षेत्रीय प्रबन्धक
सतपुड़ा उपक्षेत्र।
पाथाखेड़ा क्षेत्र

(हस्ताक्षर) 14/9/08

एस के सक्सेना
क्षेत्रीय सर्वेक्षण अधिकारी
पाथाखेड़ा क्षेत्र

(हस्ताक्षर)

एस के तिवारी
वरिष्ट सर्वेक्षण अधिकारी
सतपुड़ा 2 माइन
पाथाखेड़ा क्षेत्र

. वन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम पदमुद्रा व हस्ताक्षर।

(हस्ताक्षर) 14.9.08

एस यू खान
उप वन मण्डलाधिकारी
सारनी उप वन मण्डल (सामान्य)

(हस्ताक्षर)

डी के गुप्ते
वन परिक्षेत्र अधिकारी
सारनी परिक्षेत्र (सामान्य)

(हस्ताक्षर)

बी पी द्विवेदी
वनरक्षक
बीट प्रभारी छतरपुर बीट

(हस्ताक्षर) 14-9-08

सत्येन्द्र मालवीय
वनरक्षक
बीट प्रभारी दक्षिण पाथाखेड़ा बीट

सयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

कक्ष क्र0 पी–1629
दिनांक 14.11.08

विशयः–कोल बियरिंग एरियाज (एक्वीजिशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट 1957 के अनुसार अधिग्रहित की गई भूमि मे से वर्ष 1980 के उपरांत किये गये खनन कार्यो (भूमिगत खनन) के वन संरक्षण अधि0 1980 के तहत 97.143 हे0 भूमि की कार्योत्तर स्वीकृति के संबध मे।

आवेदक संस्थानः उपक्षेत्रीग प्रबंधक सतपुडा उपक्षेत्र वेकोलि पाथाखेडा क्षेत्र जिला–बैतूल (म0प्र0)

आवेदित क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव अनुसार)

क्र0	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र	आरक्षित/संरक्षित वन		राजस्व वन छोटे बडे झाड का जगंल		योग	कोल बियरिंग एरियाज एक्ट 1957 के तहत अधि0 क्र0 दिनांक
			कक्ष क्र0	रकबा हे0	खसरा	रकबा हे0		
	उत्तर वनमंडल (सा0) वनमंडल	सारनी (सा0)	पीएफ 1829 (संरक्षित वन)	42.585	~~119/1~~ 164 ~~119/1~~ 93 94 112 164	~~3.057~~ 0.353 ~~39.788~~ 0.506 0.198 8.490 2.157		S.O. N0. 2116 Dt.22.04.83 S.O. N0. 2617 Dt.21.08.78 S.O. N0. 1476 Dt.12.05.87
	कुल क्षेत्र		—	42.585		54.558	97.143 हे0	

सयुक्त स्थल निरीक्षण कार्यवाही विवरण :–

आज दिनांक 14 नवम्बर 2008 को उपक्षेत्रीय प्रबंधक सतपुडा उपक्षेत्र वेकोलि द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 97.143 हे0 मे से वन विभाग (सारनी परिक्षेत्र) के अंतर्गत संरक्षित वन कक्ष क्र0 पी–1629 का मांग किया गया क्षेत्र 42.585 हे0 के सयुक्त स्थल निरीक्षण हेतु, आवेदक संस्थान वेकोलि पाथाखेडा क्षेत्र के अधिकारी, वन विभाग की ओर से वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) व0म0 एवं उनके हमराह रहकर अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियो द्वारा मौके पर सयुक्त रूप से उपस्थित होकर निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान वन विभाग के आधिपत्याधीन आवेदित क्षेत्र को घूम फिर कर निरीक्षण किया गया एवं भूमि का सीमांकन पाया गया। निरीक्षण के दौरान उपवन मंडलाधिकारी सारनी (सा0) एवं अन्य अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 14.09.08 को किया गया सयुक्त स्थल निरीक्षण मे उल्लेखित वस्तुस्थिति का होना पाया गया. जिसमे मौके पर उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा सयुक्त रूप से अपनी सहमति दी गई।

उक्त आधार पर प्रकरण मे व0स0 अधिनियम 1980 के अंतर्गत कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जाने मे वनविभाग को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रकरण पर कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है।

वेकोलि अधिकारियों के नाम पद व हस्ताक्षर

(1) एस0 के0 मुखोपाध्याय
स्टाफ आफिसर (माइनिंग) पाथाखेडा क्षेत्र

14/11/08

(2) एम0 के0 सक्सेना
क्षेत्रीय सर्वेक्षण अधिकारी पाथाखेडा क्षेत्र

3) ए0 के0 अग्रवाल
उपक्षेत्रीय प्रबंधक सतपुडा उपक्षेत्र

वन विभाग के अधिकारियों के नाम व हस्ताक्षर

1) यू0 एस0 रस्तोगी
वनमंडलाधिकारी उत्तर वनमंडल बैतूल (सा.)

2) एस0 यू0 खान
उप वनमंडलाधिकारी सारनी (सा0)

3) पी0 के0 मुण्डे
वन परिक्षेत्राधिकारी सारनी परिक्षेत्र

80.902,97,107 he.